

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या – 3/स्था०(1) 05/2022 –

/ पटना – 15, दिनांक –

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 5608, दिनांक 17.12.2024 के आलोक में आदेश संख्या-1862, दिनांक 25.04.2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 5608, दिनांक 17.12.2024 में उल्लेखित तथ्य/निदेश प्रभावी रहेंगे।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(1) 05/2022 –

/ पटना – 15, दिनांक –

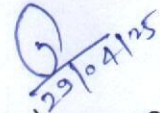
प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव/उप सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक निदेशक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(1) 05/2022 – 1905 / पटना – 15, दिनांक – 29/04/2025

प्रतिलिपि – आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।